प्रेस नोट थाना कोतवाली दिनांक 29-10-2020 15 कार्ट्न अवैध पटाखा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में घटित हत्या, लूट, चोरी, अवैध पटाखा बेचने वाले कारोबारियों पर प्रतिबंध, इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी व हिस्ट्रीशीटरो के खिलाफ कार्यावाही हेतु डा0 कौस्तुभ (आई0पी0एस0) श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में श्री वी0के0 सिंह, क्षेत्राधिकारी कोतवाली, गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में प्र0नि0 प्र0नि0 जयदीप कुमार वर्मा मय उ0नि0 श्री राम सिंह मय हमराह फोर्स के साथ दिनांक 29.10.2020 को अभियुक्तगण जो अवैध पटाखा की तस्करी कर थाना क्षेत्र में बेचने की कोशिश में थे को थाना क्षेत्र के घोष कंपनी चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त व बरामदगी का विवरण निम्नवत है-

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देव कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप गौड़ निवासी नर्रे बुजुर्ग थाना गगहा जनपद गोरखपुर व वर्तमान पता समाजघर दाउदपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 29.10.2020 समय 07.45 बजे स्थान घोष कंपनी चौराहा थाना कोतवाली गोरखपुर

बरामदगी का विवरण

15 अदद कार्टून पटाखा

आपराधिक विवरण-

मु0अ0सं0- 848/2020 धारा 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0नि0 जयदीप कुमार वर्मा (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 2.उ0नि0 राम सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 3.उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 4.का0 पियुष कुमार सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 5.का0 शक्ति सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 6.का0 विनोद यादव (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 7.का0 यशवंत सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)